

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2011 चैत्र 11, शक 1933

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2011

क्रमांक-एफ 7-11/2010/बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के अधीन स्थापित राजधानी परियोजना प्रशासन में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, मध्यप्रदेश राजधानी परियोजना प्रशासन, तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2011 है.
- (2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएँ :-

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, प्रशासक, राजधानी परियोजना प्रशासन
- (ख) "विभागीय पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति के लिये गठित की गई विभागीय पदोन्नति समिति
- (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा
- (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार
- (ङ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल
- (च) "परियोजना" से अभिप्रेत है, राजधानी परियोजना प्रशासन
- (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची
- (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है
- (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है
- (ञ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिए गठित की गई चयन समिति
- (ट) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजधानी परियोजना प्रशासन तृतीय श्रेणी सेवा
- (ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3 विस्तार तथा लागू होना :-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिए गए उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के सदस्यों को लागू होंगे।

4 सेवा का गठन :-

सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :-

- (एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों,

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों।

5 वर्गीकरण वेतनमान आदि :-

(1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या तथा उससे संबंधित वेतनमान ऐसे होंगे जो अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट किए गए हो, तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा।

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित किए गए पदों की संख्या में, समय समय पर, स्थाई या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.1.2008 के उपलब्धों के अधीन समयमान वेतनमान के हकदार होंगे।

6 भर्ती का तरीका :-

(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी अर्थात्

(एक) प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा,

(दो) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

(तीन) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा ऐसी सेवा में मूल पद धारण कर रहे हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) उप नियम 1 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची दो में दर्शित प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए, जो भर्ती की किसी विशिष्ट अवधि के दौरान भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो, अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण यह आवश्यक हो तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, सेवा में भर्ती के उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिन्हें कि वह आदेश द्वारा इस निमित्त जारी करें।

7 सेवा में नियुक्ति :-

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी और कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् के सिवाय नहीं की जाएगी।

8 सीधी भर्ती की पात्रता संबंधी शर्त :-

सीधी भर्ती द्वारा चयन के लिए पात्र होने की दृष्टि से किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:-

: आयु

- (क) उसने चयन के प्रारंभ होने की तारीख के आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कॉलम(3) में, यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलमक(4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो।
- (ख) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हों या रह चुके हों, अधिकतम उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई आयु सीमा तक तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी—

(एक) ऐसे अभ्यर्थी, जो राज्य सरकार का स्थायी या अस्थायी सेवक हो और, कोई अन्य पद धारण कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु का न हो,

(दो) उच्चतर आयु सीमा में उपरोक्त शिथिलीकरण उस अभ्यर्थी को भी अनुज्ञेय होगा जो आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी या कार्यभारित कर्मचारी हैं बशर्ते कि वह 38 वर्ष की आयु तक बिना किसी व्यवधान के निरंतर सेवा में रहा हो।

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थाई सेवा की अधिकतम सात वर्ष की कालावधि को, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की अवधि के कारण हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप प्राप्त उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संघटक इकाइयों की अस्थाई सरकारी

सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(घ)

ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवओं की कालावधि को कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा बशर्त कि इनसके परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाली आयु उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण : पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग से संबंधित रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास से अनधिक की कालावधि तक निरंतर नियोहित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में उसके रजिस्ट्रीकरण कराने की अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जिसे अतिशेष घोषित कर दिया गया हो।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्वेंसन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार, और
(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,
(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर,
सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(3) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पकालीन सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं) उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो)

(4) ऐसे अधिकारी, जिन्हें छह मास से अधिक तक अवकाश रिवित्तियों के विरुद्ध कार्य करने के पश्चात्, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो कि उनका दक्ष सैनिक बनना असंभाव्य है,

- (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,
- (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाना आदि के कारण से चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।
- (ड.) किसी विधवा की प्रारंभिक नियुक्ति की दशा में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलीकरण होगी।
- (च.) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारकों की दशा में उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलीकरण होगी।
- (छ.) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत किसी दंपत्ति के सवर्ण पति/पत्नी की दशा में उच्चतर आयु सीमा, पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी,
- (ज.) विक्रय अवार्ड विजेताओं की दशा में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (झ.) ऐसे अभ्यर्थियों की दशा में भी, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (त्र.) नगर सेना(होमगार्ड्स) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नानकमीशन्ड अधिकारियों की दशा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की अवधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ट.) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त खण्ड(ग) (एक) तथा(दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन चयन परीक्षा में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा ली जाने से पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे देते हों, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् सेवा या पद से छंटनी कर दी गई हो वे पात्र बने रहेंगे और किसी भी अन्य दशा में उनकी आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्वानुमति अभिप्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (ठ) शैक्षणिक अर्हताएं :-

अभ्यर्थी के पास अनुसूची तीन में यथादर्शित विहित शैक्षणिक अर्हता होना चाहिए,

परन्तु आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर, किसी ऐसे अभ्यर्थी को भी अर्ह माना जाएगा जिसके पास यद्यपि विहित अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे मानकों के साथ उत्तीर्ण की हो जिनके कारण नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिए पात्र समझता हो।

(ड) फीस :- उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित फीस का भुगतान करना होगा।

9 निर्हताएँ:-

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके चयन के लिए निरहता ठहराया जा सकेगा।
- (2) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (3) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जा चुका हो, पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
- (5) ऐसा कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी दो जीवित पत्नियाँ हों तथा ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पूर्व से ही एक पत्नी हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- (6) कोई भी शासकीय सेवक जिसकी एक जीवित पत्नी हो, सरकार की पूर्वानुमति के बिना विवाह नहीं करेगा,
- (7) ऐसी कोई भी महिला शासकीय सेवक सरकार की पूर्वानुमति के बिना किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसकी एक जीवित पत्नी हो।
- (8) कोई भी शासकीय सेवक ऐसी रीति में कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी महिला शासकीय सेवक के यौन उत्पीड़न की परिधि में आता हो।

10 अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा:-

किसी अभ्यर्थी की परीक्षा में प्रवेश के लिए अथवा अन्यथा पात्रता के बारे में चयन समिति का विनिश्चय अंतिम होगा

प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :-

- 1 सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जाएगी, जैसे कि राजधानी परियोजना प्रशासन, सरकार के परामर्श से समय समय पर अवधारित करें।
- 2 राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार परीक्षा संचालित की जायेगी, जैसे कि शासन राजधानी परियोजना प्रशासन से परामर्श करके, समय समय पर, जारी करें।
- 3 मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रहेंगे।
- 4 इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय ऐसे अभ्यर्थियों के नामों पर, जो कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हों, नियुक्ति के लिए विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।
- 5 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, उपनियम (3) के अध्याधीन रहते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- 6 यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होते हैं तो शेष बच रही रिक्तियों को अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इन पदों को अग्रणीत कर दिया जाएगा तथा उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भरा जाएगा।
- 7 (क) जहाँ सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरने के लिए अनुभव की कुछ अवधि एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित की गई हो और सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है वहाँ गठित की गई समिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगी।

- (ख) (एक) सेवा में चयन ऐसे अन्तराल से किया जाएगा जो कि राजधानी परियोजना प्रशासन समय समय पर अवधारित करें।
(दो) अभ्यर्थियों का चयन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति के समक्ष अभ्यर्थियों के व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के पश्चात् किया जाएगा।

12 चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची :-

- (1) चयन समिति राजधानी परियोजना प्रशासन को ऐसे मानकों से जो कि समिति अवधारित करें, अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की योग्यताक्रम में व्यवस्थित एक सूची और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के ऐसे अभ्यर्थियों की, जो भले ही मानकों के अनुसार अर्हता प्राप्त न हो किन्तु जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया हो, एक सूची अग्रेषित करेगी। सूची सर्व साधारण जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।
- (2) इन नियमों के तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के नामों पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में कि उनके नाम सूची में आए हों।
- (3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित कर लिए जाने से उसे नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि सरकार का ऐसी जांच कर लेने के पश्चात् जैसे कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13 पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :-

- (1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन करने के लिए अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जावेगी।
- (2) समिति की बैठक साधारणतया एक वर्ष से अनधिक के अंतराल पर होगी।
- (3) ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों के 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत रिक्त स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे जो नियम 14 के उपबंधों के अनुसार पदोन्नति के लिए पात्र हों।
- (4) आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति की प्रक्रिया, सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

- (5) पदोन्नति से संबंधित समस्त कार्यवाहियों मध्यप्रदेश लोक सेवा(पदोन्नति) नियम,2002 के उपबंधों के अन्तर्गत की जाएगी।

14 पदोन्नति के लिए पात्रता संबंधी शर्तें :-

- (1) समिति,उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी,जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को,अनुसूची-चार के कालम(4) में उल्लिखित उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जाना है या जिन्हें यथाविनिर्दिष्ट शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्ष की सेवा चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में पूर्ण कर ली हो, जो कि अनुसूची-चार के कालम(3) में विनिर्दिष्ट किए गए हों और मध्यप्रदेश लोक सेवा(पदोन्नति) नियम,2002 के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों, परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उसके द्वारा सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर लिए जाने के आधार पर उसे पदोन्नति के लिए उससे वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में अधिमान देकर विचारण नहीं किया जायेगा।

15 उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :-

- (1) समिति, मध्यप्रदेश लोक सेवा(पदोन्नति) नियम,2002 में उल्लिखित वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर ऐसे व्यक्तियों की ऐसी सूची तैयार करेगी जो उपरोक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति ने सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना हो। सूची में चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियाँ भी सम्मिलित होंगी। उपरोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जायेगी जिसमें चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होंगे।
- (2) ऐसी सूची सम्मिलित किये जाने के लिए चयन वरिष्ठता कस सम्यक् ध्यान रखते हुए सभी प्रकार से योग्यता और उपयुक्तता पर आधारित होगा।
- (3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय चयन सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों के नाम अनुसूची 1R के कालम(2) में यथा निर्दिष्ट सेवा या पदों की वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे। परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में आपवादिक योग्यता तथा उपयुक्तता का हो,चयन सूची में उससे वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर रखा जा सकेगा।
- स्पष्टीकरण:- ऐसे किसी व्यक्ति का, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो,किन्तु सूची की वैधता के दौरान उसकी पदोन्नति नहीं हुई है, केवल उसके पूर्व में चयन हो जाने के तथ्य के कारण पश्चातवर्ती चयन में विचार किए गए व्यक्तियों पर वरिष्ठता का दावा नहीं होगा।

- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।
- (5) यदि चयन,पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में राज्य सिविल सेवा के किसी सदस्य को अतिष्ठित किया जाना प्रस्तावित है तो समिति प्रस्तावित अधिकरण के कारण अभिलिखित करेगी।

16 उपयुक्तता सूची:-

- (1) राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथा दर्शित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम(3) में दर्शित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।
- (2) चयन सूची साधारणतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि वह नियम 15 के उपनियम(4) के अनुसार पुनर्विलोकित या पुनरीक्षित नहीं कर दी जाती है किन्तु उसकी वैधता उसे बनाये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि के परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह यह उचित समझे तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा।

17 चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :-

- (1) सेवा के संवर्ग के पदों पर,उपयुक्तता सूची में सम्मिलित पदाधिकारियों की नियुक्ति(स्थापनन हैसियत में,रोस्टर बिन्दु के अनुसार 2 वर्ष की अवधि के लिये) उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में कि ऐसे पदाधिकारियों के नाम उपयुक्तता की चयन सूची में आए हों।
- (2) साधारणतः किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम उपयुक्तता की चयन सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति के पूर्व शासन से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि उक्त सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट ना आ गई हो, जो राजधानी परियोजना प्रशासन की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो।

18 परीक्षा :-

सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की कालावधि के लिए परीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19 निर्वचन :-

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

20 शिथिलीकरण :-

इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्याय संगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला, किसी ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

21 व्यावृत्ति :-

इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में, समय समय जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22 निरसन और व्यावृत्ति :-

इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त, सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी.अग्रवाल, उप सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिये)

सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण,	वेतनमान		टिप्पणी
1	2	3	4	5		6
1	उपयंत्री (सिविल) उपयंत्री (वि/यं)	62 7	तृतीय श्रेणी	9300-34800 ग्रेड पे 3200		
2	मुख्य मानचित्रकार	1	-तदैव-	9300-34800 ग्रेड पे 3200		
3	मानचित्रकार	4	-तदैव-	9300-34800 ग्रेड पे 2800		
4	सहायक मानचित्रकार	14	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 2400		
5	अनुरेखक	22	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		
6	मंडल अधीक्षक	1	-तदैव-	9300-34800 ग्रेड पे 3200		
7	वरिष्ठ शीघ्रलेखक (निज सहायक)	1	-तदैव-	9300-34800 ग्रेड पे-3600		
8	शीघ्रलेखक	1	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे-2800		
9	सहायक ग्रेड 1	3	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 2800		
10	सहायक ग्रेड 2	48	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 2400		
11	सहायक ग्रेड 3/ काउंटर क्लर्क/ रिसेप्शनिस्ट	98+2+1 +2= 103	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		
12	स्टेनो टायपिस्ट	2	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		
13	गार्डन निरीक्षक सह सहायक	1	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 2800		
14	कृषि सहायक	1	-तदैव-	9300-34800 ग्रेड पे 3200		
15	रजिस्ट्रार	2	-तदैव-	9300-34800 ग्रेड पे 4200		
16	पुरुष तैराकी प्रशिक्षक	2	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		
17	महिला तैराकी प्रशिक्षक	1	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		
18	पुरुष जीवन रक्षक	3	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		
19	महिला जीवन रक्षक	1	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		
20	लिफ्ट सुपरवाइजर	1	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 2100		
21	सब स्टेशन अटेंडेंट	4	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 2400		
22	लिफ्ट आपरेटर	13	-तदैव-	5200-20200 ग्रेड पे 1900		

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिये)
भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	अनु. कं.	पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्य सेवा से व्यक्तियों के अस्थाई स्थानांतरण द्वारा (नियम 6 (1)(तीन) देखिये)	
				सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1)(एक) देखिये)	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम 6(1) (दो) देखिये)		
1		2	3	4	5	6	
आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	उपयंत्री (सिविल)	62	95%	5%		
		उपयंत्री (वि/यं)	07	95%	5%		
	2	मुख्य मानचित्रकार	1	—	100 %		
	3	मानचित्रकार	4	—	100 %		
	4	सहायक मानचित्रकार	14	50 %	50 %		
	5	अनुरेखक	22	100 %	—		
	6	मंडल अधिक्षक	1	—	100 %		
	7	वरिष्ठ शीघ्रलेखक (निज सहायक)	1	—	100 %		
	8	शीघ्रलेखक	1	—	100 %		
	9	सहायक ग्रेड 1	3	—	100 %		
	10	सहायक ग्रेड 2	48	—	100 %		
	11	सहायक ग्रेड 3	103	75 %	25 %		
	12	स्टेनो टायपिस्ट	2	100 %	—		
	13	रजिस्ट्रार	2	—	100 %		या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
	14	उद्यान निरीक्षक सह सहायक	1	—	100 %		या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
	15	कृषि सहायक	1	—	—		या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
	16	पुरुष तैराकी प्रशिक्षक	2	50 %	50 %		
	17	महिला तैराकी प्रशिक्षक	1	—	100 %		या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
	18	पुरुष जीवन रक्षक	3	100 %	—		या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
	19	महिला जीवन रक्षक	1	100 %	—		या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से
	20	लिफ्ट सुपरवाइजर	1	—	100 %		
	21	सब स्टेशन अटेंडेंट	4	100 %	—		
	22	लिफ्ट आपरेटर	13	100 %	—		

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिये)
सीधी भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	अनु. कं.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें	टिप्पणी
1		2	3	4	5	6
आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	उपयंत्री (सिविल) उपयंत्री (वि/यं)	18 वर्ष	35 वर्ष	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा/या विद्युत यांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा	
	2	सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वास्तुकला में डिप्लोमा, सिविल में मानचित्रकला (ड्राफ्ट्समेनशिप) में सर्वेक्षण का प्रमाण पत्र/सर्वेयर ट्रेड सर्टिफिकेट या वाणिज्यिक, इंडस्ट्रीयल कौंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेडिंग का 3 वर्षीय शिक्षता प्रमाण पत्र या आटोकेड ज्ञान के साथ कम्प्यूटर साइंस में बी. एस.सी. उपाधि या इ.टी. एण्ड टी.ओ.-प्रथम स्तर प्रमाण पत्र	
	3	अनुरेखक (ट्रेसर)	18 वर्ष	35 वर्ष	माध्यमिक शाला मण्डल से ड्राईंग विषय के साथ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2) शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत हायरसेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण या मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति के अंतर्गत हायरसेकेण्ड्री (11वीं कक्षा) या किसी समकक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र या राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड या संस्था का प्रमाण पत्र या उच्चतर माध्यमिक (तकनीकी) परीक्षा किसी अन्य समतुल्य बोर्ड का प्रमाण पत्र डी.ओ.ई.ए.सी. सी.या ओ.स्तर प्रमाण पत्र या आटोकेड प्रमाण पत्र	

	4	सहायक ग्रेड 3	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1)सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से (10+2)पद्धति के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या पुरानी पद्धति के अंतर्गत हायरसकेण्ड्री परीक्षा(11वीं)उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र तथा</p> <p>(2)मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>(3) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.</p>
	5	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1).शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से 10+2 पद्धति के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण या पुरानी पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेण्ड्री परीक्षा (11वीं)उत्तीर्ण</p> <p>(2).मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा बोर्ड से हिंदी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण या मध्यप्रदेश आई.टी.आई से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दीशीघ्रलेखन परीक्षा.</p> <p>(3). शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से किसी एक संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.</p>
	6	पुरुष तैराकी प्रशिक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) .शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली के अनुसार हायरसकेण्ड्री (11वीं)या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण जो पुरानी पद्धति के अनुसार हो.</p> <p>(2) तीन बार राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लेने का प्रमाण पत्र.</p> <p>(3) यह आवश्यक है कि कम से कम 500 मीटर तक लगातार तैरने में समर्थ हो.</p> <p>(4) जीवन रक्षक कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।</p> <p>(5) मान्यता प्राप्त संस्थान से तैराकी में डिप्लोमा/प्रमाण पत्र</p>

	7	पुरुष जीवन रक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण या पुरानी पद्धति के अनुसार हायरसकेण्ड्री (11वीं) परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष परीक्षा जो पुरानी पद्धति के अनुसार हो.</p> <p>(2) राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में तीन बार माग लेने का प्रमाण पत्र</p> <p>(3) यह आवश्यक है कि कम से कम 500 मीटर तक लगातार तैरने में समर्थ हो.</p> <p>(4) मान्यता प्राप्त संस्था से जीवन रक्षक प्रमाण पत्र आवश्यक है.</p>	
	8	महिला जीवन रक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>(1) मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति के अंतर्गत 12वीं उत्तीर्ण या हायरसकेण्ड्री 11वीं परीक्षा या पुरानी पद्धति के अनुरूप समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>(2) राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में तीन बार माग लेने का प्रमाण पत्र</p> <p>(3) यह आवश्यक है कि कम से कम 500 मीटर तक लगातार तैरने में समर्थ हो.</p> <p>(4) मान्यता प्राप्त संस्था से जीवन रक्षक प्रमाण पत्र आवश्यक है.</p>	
	9	सब स्टेशन अटेंडेंट	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>1. हायरस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>2. लायसेन्स वायरमेन का प्रमाण पत्र हो और जिसे घरेलू औद्योगिक तथा आन्तरिक तथा भूमिगत वायरिंग कार्य का अनुभव हो या आई टी आई से प्रशिक्षित व्यक्ति जिसे एक वर्ष का अनुभव हो.</p>	
	10	लिफ्ट आपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	<p>आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो और जिसके पास घरेलू वायरमैन की अनुज्ञप्ति हो या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से वायरिंग में प्रशिक्षित हो और जिसे 6 माह का अनुभव हो।</p>	

अनुसूची चार
(नियम 14 देखिये)

विभाग का नाम	अनु. क्र.	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता होने की न्यूनतम कालावधि	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है.	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)	टिप्पणी
आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	डिप्टीधारक अनुरेखक(ट्रेसर)/ सहायक मानचित्रकार	5 वर्ष	उपयंत्री (सिविल) उपयंत्री (वि/यं)	(1)उपप्रशासक, सीपीए- अध्यक्ष (2)अधीक्षण यंत्री सीपीए - सदस्य (3)वरिष्ठ सहायक यंत्री सीपीए- सदस्य	
	2	मानचित्रकार	5 वर्ष	मुख्य मानचित्रकार	--तदैव--	
	3	सहायक मानचित्रकार	5 वर्ष	मानचित्रकार	--तदैव--	
	4	अनुरेखक (ट्रेसर)	7 वर्ष	सहायक मानचित्रकार	--तदैव--	
	5	सहायक ग्रेड 1	5 वर्ष	मंडल अधीक्षक	--तदैव--	
	6.	मण्डल अधीक्षक	5 वर्ष	रजिस्ट्रार		
	7	सहायक ग्रेड 2	5 वर्ष	सहायक ग्रेड 1	--तदैव--	
	8	सहायक ग्रेड 3	5 वर्ष	सहायक ग्रेड 2	--तदैव--	
	9	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	वरिष्ठ शीघ्रलेखक (निज सहायक)	--तदैव--	
	10	स्टेनोग्राफिस्ट	5 वर्ष	शीघ्रलेखक	--तदैव--	बोर्ड से 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने पर
	11	भृत्य/समकक्ष	5 वर्ष	सहायक ग्रेड 3	--तदैव--	हायर सेकन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर
	12(1)	पुरुष जीवन रक्षक	5 वर्ष	पुरुष तैराकी प्रशिक्षक	--तदैव--	
	13	महिला जीवन रक्षक	5 वर्ष	महिला तैराकी प्रशिक्षक	--तदैव--	
	14	लिफ्ट आपरेटर	5 वर्ष	लिफ्ट सुपरवाइजर	--तदैव--	

टीप :-समिति के सदस्य के अतिरिक्त यदि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो इस संवर्ग का प्रतिनिधि पृथक से सम्मिलित किया जाएगा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी.डी.अग्रवाल, उप सचिव.

Bhopal, dated 15th March 2011

No. F- 7-11/2010/32- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Capital Project administration established under the Housing and environment department of the Government of Madhya Pradesh, namely :-

RULES

1. Short title and commencement.-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Capital Project Administration Class-III Service recruitment Rules, 2011.
- (2) They shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.-

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "appointing authority" in relation to the service means the Administrator, Capital Project Administration;
- (b) "departmental promotion committee" means the departmental promotion committee constituted for promotion by the competent authority;
- (c) "examination" means competitive examination for the direct recruitment under these rules;
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Governor" means the Governor of the Madhya Pradesh;
- (f) "Project" means the Capital Project Administration;
- (g) "Schedule" means the schedule appended to these rules;
- (h) "Scheduled Caste" means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution;
- (i) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of, or group within such tribe or tribal community specified as Scheduled Tribes with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution;
- (j) "selection committee" means the selection committee constituted for direct recruitment by the competent authority;

- (k) "Service" means Madhya Pradesh Capital Project Administration Class III Service;
- (l) "State" means the State of Madhya Pradesh;

3. Scope & Application.-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall be applicable to the members of service.

4. Constitution of the Service.-

The service shall consist of the following persons, namely:-

- (i) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedule-I;
- (ii) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
- (iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. Classification, scale of pay, etc.-

- (1) The classification of the Service, the number of posts included in the Service and the scale of pay attached thereto shall be as specified in Schedule-I.

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either on a permanent or temporary basis.

- (2) The members of the service shall be entitled for the time scale under the provisions of Finance Department circular dated 24.1.08.

6. Method of recruitment.-

1. Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-
- (i) by direct recruitment by competitive examination;
- (ii) by promotion of the member of the service;
- (iii) by transfer of persons who hold in substantive capacity in such service, as may be specified by the State Government in this behalf
2. The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not, at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts specified in Schedule-II.

3. Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing authority.
4. Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order, issue in this behalf.

7. Appointment to the service.-

All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. Conditions of eligibility of direct recruitment.-

In order to be eligible to be selected for direct recruitment a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

Age:

- (a) He must have attained the age as specified in column(3) of Schedule III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes.
- (c) The upper age limits shall also be relaxable in respect of the candidates who are or have been the employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-
 - (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government Servant and is holding any other post, should not be more than 38 years of age;
 - (ii) The above relaxation in the upper age limit shall also be admissible to a candidate who is contingency paid employee or a work charged employee provided that he has been in the service continuously without any break therein up to the age of 38 years;

- (iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of seven years even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation. The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

- (d) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defense services previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation. The term 'ex-servicemen' denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in government services.

- (1) Ex-servicemen released under mustering out concession;
- (2) Ex-servicemen for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
- (3) Officers (Military and civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);
- (4) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (5) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

- (6) Ex-Servicemen invalidated out of service;
- (7) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc.
- (e) The upper age limit in the case of initial appointment of a widow shall be relaxable up to five years.
- (f) The upper age limit in the case of green card holders under the family planning programme shall be relaxable up to two years.
- (g) The upper age limit in the case of a superior caste partner of a couple under the inter caste marriage incentive programme shall be relaxable up to five years.
- (h) The upper age limit shall also be relaxable up to five years in case of Vikram Award Winner.
- (i) The upper age limit shall also be relaxable up to 38 years in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
- (j) The upper age limit will be relaxed in the case of voluntary Home Guard and non-commissioned officers of Home Guard for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.
- (k) Candidates who are admitted to the examination selection under the age concession mentioned in clause (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign, from service either before or after taking the examination. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application in no other cases their age limit will be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination.

(1) **Educational Qualification.-**

He must possess the educational qualification prescribed for the service as shown in schedule-III:

Provided that in exceptional cases on the recommendation of the appointing authority, a candidate may be treated as qualified, who though not possessing any of the qualification prescribed but has passed the examination conducted by other institutions by such standards for which the appointing authority considers the candidate eligible to appear in the examination / selection.

(iii) **Fees:** He must pay the fees prescribed by the Appointing Authority.

9. Disqualification.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority to disqualify him for selection.
- (2) No candidate shall be eligible for appointment to the post, who has married before the minimum aged fixed for marriage.
- (3) No candidate shall be eligible for appointment to the post, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001.
- (4) No candidate shall be eligible for appointment to the post if he has been convicted for the offence against the women.
- (5) No male candidate shall be eligible for appointment if he has two living wives and any female candidate shall not be eligible for appointment if she has married to a person who has one wife already.
- (6) No Government servant, who has one living wife shall not marry without prior permission of the Government.
- (7) No female government servant, without prior permission of the Government shall not marry to a person who has one living wife.
- (8) No government servant shall act in such a manner which comes within the purview of the sexual harassment of any female Government servant.

10. Selection Committee's decisions about the eligibility of candidates' shall be final.-

The decision of the Selection Committee as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. Direct recruitment by competitive examination.-

1. A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Capital Project Administration may in consultation with the Government from time to time determine.
2. The examination shall be conducted by the Capital Project Administration in accordance with such orders as the Government

may from time to time issue in consultation with the Capital Project Administration.

3. There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargaon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the order and instructions issued by the State Government from time to time.
4. In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
5. Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared suitable by the selection committee for appointment in service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes subject to sub- rule (3).
6. If other sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates and these posts shall be carried forward and shall be filled according to the direction issued from time to time, by the General Administration Department.
7. (a) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the post by direct recruitment and in the opinion of competent authority it is found that the sufficient number of candidates having requisite experience are not likely to be available for recruitment on the reserved posts the committee constituted may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates.
(b)(i) The selection to the service shall be made in such interval as the capital project administration may determine from time to time.
(ii) The selection of the candidates shall be made after personal appearance of the candidates before the selection committee constituted for the purpose.

12. List of candidates recommended by the Commission.-

- (1) The selection committee shall forward to the Capital Project Administration a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the committee may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who though not qualified by that standard, are declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.
- (2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment for the available vacancies in order in which their names appear in the list.
- (3) The inclusion of candidates name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. Appointment by promotion.-

- (1) There shall be constituted a committee consisting of members mentioned in Scheduled IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.
- (2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.
- (3) 16% and 20% of the available vacancies for promotion in such post shall be reserved for persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively who are eligible for promotion in accordance with provisions of rule 14.
- (4) Procedure for making promotion in the reserved vacancies shall be in accordance with the instructions issued by the Government in the General Administration Department from time to time.
- (5) All the actions relating to the promotion shall be taken under the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

14. Conditions of eligibility for promotion.-

- (1) The committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had complete such a number of years of service, as mentioned in column (4) of Schedule IV whether officiating or substantive in the post from which promotion is to be made or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002:

Provided that any junior person shall not be considered for promotion in preference to the person senior to him on the basis of his completing the prescribed period of service.

15. Preparation of the list of suitable candidates.-

- (1) The committee shall prepare a list of such persons (on the basis of the seniority and fitness mentioned in the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and as are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25 percent of the number of persons included in the select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.
- (2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.
- (3) The names of the persons included in the select list shall arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list :

Provided that any junior officer, who in the opinion of the committee is of exceptional merit and suitability may be assigned, in the list a higher place, than that of the officers senior to him.

Explanation: A person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

- (5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the state sub-ordinate Civil Service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. List of suitability:

- (1) The list finally approved by the Capital Project Administration shall form the select list for promotion of the members of services from the posts as shown in column (2) of Schedule IV to the posts shown in column (3) of the said Schedule.
- (2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of Rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of any grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the appointing authority and he may, if he thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.-

- (1) Appointment of the officials included in the suitability to posts borne on the cadre of the service (as per roster point for the period of two years in officiating capacity) shall be made in the order in which the names of such officials appear in the select list of suitability.
- (2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Government before appointment of a person whose name is included in the select list of suitability, unless during the period intervening between the inclusion of his name in the said list and date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Capital Project Administration is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation.-

Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Interpretation.-

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the General Administration Department of the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.-

Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable. :

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Saving.-


Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

22. Repeal and saving.-

All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made and action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules:

**By the order and in the name of
the Governor of the Madhya Pradesh.**



**(D D AGRAWAL)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Housing & Environment Department**

Schedule - I					
(See rule 5)					
Classification of Service, Pay Scale and number of posts included in the service					
S. No.	Number of posts included in the service.	Number of Posts	Classification	Pay Scale	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Sub-Engineer(civil) Sub Engineer (E&M)	62 7	Class III	9300-34800 Gradepay 3200	
2	Head Draftsman	1	--do--	9300-34800 Gradepay 3200	
3	Draftsman	4	--do--	9300-34800 Gradepay 2800	
4	Assistant Draftsman	14	--do--	5200-20200 Gradepay 2400	
5	Tracer	22	--do--	5200-20200 Gradepay 1900	
6	Circle Superintendent	1	--do--	9300-34800 Gradepay 3200	
7	Senior Stenographer	1	--do--	9300-34800 Gradepay 3600	
8	Stenographer	1	--do--	5200-20200 Gradepay 2800	
9	Assistant Grade-I	3	--do--	5200-20200 Gradepay 2800	
10	Assistant Grade-II	48	--do--	5200-20200 Gradepay 2400	
11	Assistant Grade-III/ Counter Clerk/ Receptionist	99+2+2= 103	--do--	5200-20200 Gradepay 1900	
12	Steno typist	2	--do--	5200-20200 Gradepay 1900	
13	Garden Inspector cum Assistant.	1	--do--	5200-20200 Gradepay 2800	
14	Agriculture Assistant	1	--do--	9300-34800 Gradepay 3200	
15	Registrar	2	--do--	9300-34800 Gradepay 4200	
16	Male Swimming Trainer	2	--do--	5200-20200 Gradepay 2400	
17	Female Swimming Trainer	1	--do--	5200-20200 Gradepay 2400	
18	Male Life guard	3	--do--	5200-20200 Gradepay 1900	
19	Female Life Guard	1	--do--	5200-20200 Gradepay 1900	
20	Lift Supervisor	1	--do--	5200-20200 Gradepay 2100	
21	Sub-Station Attendant	4	--do--	5200-20200 Gradepay 2400	
22	Lift Operator	13	--do--	5200-20200 Gradepay 1900	

Schedule- II

See Rule- 6

Method of Recruitment

Name of the Department	S.No.	Name of the Service	Total Number of Posts	Percentage of the Number of posts to be filled		Through temporary transfer of the persons from other service (See Rule 6(1) (iii))
				Through direct recruitment (see Rule 6(1)(i))	Through the promotion of members of service (See Rule 6(1)(ii))	
1	2	3	4	5	6	7
Housing and Environment Department	1	Sub Engineer (Civil) Sub Engineer (E/M)	62 07	95% 95%	5% 5%	
	2	Head Draftsman	1	-	100%	
	3	Draftsman	4	-	100%	
	4	Assistant Draftsman	14	50%	50%	
	5	Tracer	22	100%	-	
	6	Circle Superintendent	1	-	100%	
	7	Senior Stenographer	1	-	100%	
	8	Stenographer	1	-	100%	
	9	Assistant Grade-I	3	-	100%	
	10	Assistant Grade-II	48	-	100%	
	11	Assistant Grade-III	103	75%	25%	
	12	Steno Typist	2	100%	-	
	13	Registrar	2	-	100%	Or Through Deputation
	14	Garden Inspector -cum- Assistant	1	-	100%	or Through deputation
	15	Agriculture Assistant	1	-	-	Through deputation
	16	Male Swimming Trainer	2	50%	50%	
	17	Female Swimming Trainer	1	-	100%	or Through deputation
	18	Male lifeguard	3	100%	-	or Through deputation
	19	Female lifeguard	1	100%	-	or Through deputation
	20	Lift Supervisor	1	-	100%	
	21	Sub Station Attendent	4	100%	-	
	22	Lift Operator	13	100%	-	

Schedule- III

(See Rule 8)

Age and qualification of the persons to be recruited directly

Name of the Department	S.No.	Name of the Service/Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualifications	Comment
1	2	3	4	5	6	7
Housing and Environment Department	1	Sub Engineer(Civil) Sub Engineer(E/M)	18 years	35 years	Three years diploma in Civil Engineering from the Institute recognised by the State Government/ or Electrical Mechanism three years diploma.	
	2	Assistant Draftsman	18 years	35 years	Diploma in Architecture from ITI, certificate of Survey in Draughtmanship in Civil/Surveyor Trade Certificate or Apprenticeship certificate of commercial, Industrial Council of vocational Trading (3yrs) or B Sc Degree in Computer Science with the knowledge of Autocad or ET and TO-I level certificate.	
	3	Tracer	18 years	35 years	Higher Secondary Examination pass under (10+2) Education system from the institution recognised by the Government with drawing subject from the Madhya Pradesh Board of Secondary Education or Higher Secondary (11th Class) under the old system from recognised institution or certificate of any equal examination pass or certificate of any other Board or institution recognised for this purpose by the State Government or certificate of Higher Secondary (Technical) Examination or any other equal from recognised Board, certificate of DOEA CC or O level certificate or Autocad certificate	
	4	Assistant Grade-III	18 years	35 years	(1) 12th Class pass under the (10+2) system from the institution recognised by the government or certificate of 11th Higher Secondary examination pass under old system and (2) Certificate of Hindi typing examination pass from Madhya Pradesh Shorthand and typing examination Board. (3) Computer examination pass from any one of the institutions recognised by the Government	
	5	Steno Typist	18 years	35 years	12th Class pass under the (10+2) system from the institution recognised by the government or certificate of 11th class Higher Secondary pass under the old system. (2) Hindi typing examination pass from Madhya Pradesh shorthand and typing examination Board or Hindi Shorthand examination pass with 100 words per minute speed from Madhya Pradesh ITI. (3) Computer examination pass from anyone of the insitutions recognised by the Government.	

Housing and Environment Department	6	Male Swimming Trainer	18 years	35 years	(1) 12th class pass under Higher Secondary (10+2) system from institution recognised by government or Higher Secondary 11th examination or the examination equivalent to that pass as per the old pattern. (2) Certificat of three times particiapation in National Swimming competition. (3) It is necessary to able to swim up to atleast 500 meters continuously. (4) Five years experience in lifeguard work. (5) Diplome/Certificate in Swimming from the recognised institute..
	7	Male Lifeguard	18 years	35 years	(1) 12th pass under the (10+2) system from any recognised institution or Higher Secondary, 11th exam or the examination equivalent to the pass as per old system (2) Certificate of Three times participation in National Swimmers Competition (3) It is necessary to able to swim upto atleast 500 meters continuously. (4) Lifeguard certificate from the recognised institution is necessary.
	8	Female lifeguard	18 years	35 years	(1) 12th examination pass under the (10+2) system from the recognised institution or Higher Secondary 11th examination of the examination equivalent to that pass as per old pattern, (2) Certificate of three times participation in National Swimmers Competition, (3) It is necessary to able to swim up to atleast 500 meters continuously, (4) Lifeguard certificate from the recognised institution is necessary.
	9	Sub-station Attendent	18 years	35 years	(1) High School examination pass. (2) Having certificate of licence wireman and who have experience of domestic, industrial, internal and underground wiring work or ITI trained perosn who have one years experience
	10	Lift Operator	18 years	35 years	8th class pass and who have licence of domestic wireman or trained in wiring from ITI and who have 6 months experience

Schedule IV

(see rule 14)

Name of the Department	S.No	Name of the post from which promotion has to be made	Minimum period of eligibility for promotion on next higher post	Name of the post on which the promotion has to be made	Name of the department promotion committee members (see rule 13)	Remark
1	2	3	4	5	6	7
Housing and Environment Department	1	Diploma/Degree holder Tracer/ Assistant Draftsman	5 years	Sub Engineer (Civil) Sub Engineer (E/M)	1. Deputy Administrator, CPA- Chairman (2) Superintending Engineer, CPA- Member (3) Senior Assistant Engineer, CPA- Member.	
	2	Draftsman	5 years	Head Draftsman	__do__	
	3	Assistant Draftsman	5 years	Draftsmand	__do__	
	4	Tracer	7 years	Assistant Draftsman	__do__	
	5	Assistant Grade I	5 years	Circle Superitendent	__do__	
	6	Circle Superitendent	5 years	Registrar	__do__	
	7	Assistant Grade II	5 years	Assistant Grade I	__do__	
	8	Assistant Grade III	5 years	Assistant Grade II	__do__	
	9	Stenographer	5 years	Sr. Stenographer	__do__	On passing Typing and Shorthand with a speed of 100 words per minute from Board.
	10	Steno Typist	5 years	Stenographer	__do__	
	11	Peon/Equivalent	5 years	Assistant Grade III	__do__	HSC Exam pass
	12(1)	Male Lifeguard	5 years	Male Swimming Trainer	__do__	
	12(2)	Female Lifeguard	5 years	Female Swimming Trainer	__do__	
13	Lift Operator	5 years	Lift Supervisor	__do__		
Note:- Besides the member of the committee, if there is no member of Schedule Caste/ Schedule Tribe than the representative of this cadre shall be included separately.						

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh

(D D Agrawal)

Deputy Secretary,
Govt. of M.P.,

Housing and Environment Department